रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 445] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 1973/पौष 3, 1895
No. 445] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 1973/PAUSA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### ORDER

*New Delhi, the 24th December* 1973

**S.O. 793(E).**—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Britannia Engineering Works (Wagons Division), Mokameh, in the State of Bihar, is engaged in the Scheduled industries, namely, metallurgical and transportation industries;

And whereas the company owning the said industrial undertaking, namely, the Britannia Engineering Company Limited, is being wound-up by the Calcutta High Court;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary in the interests of the general public, and in particular, in the interests of production, supply and distribution of articles relatable to the concerned scheduled industry, to investigate into the possibility of re-starting the said industrial undertaking;

And whereas on an application made by the Central Government under section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) to the Calcutta High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Calcutta High Court has granted the permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government

hereby appoints, for the purpose of making an investigation into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertaking, a body of persons consisting of—

*Chairman*

(1) Shri A. F. Couto, Industrial Development Commissioner, Bihar.

*Members*

(2) Shri R. N. Dash, District Magistrate, Patna.

(3) Shri R. N. Chowdhry, Industrial Adviser (Engineering), Government of Bihar.

(4) Shri M. K. Mandal, Manager (Technical), Industrial Reconstruction Corporation of India, Calcutta.

2. The above body shall submit its report within a period of 15 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 4/2/73-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

**उद्योग विकास मंत्रालय**

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 1973

**एस० ओ० 793 (अ)**.—यत: बिहार राज्य में मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स (वैगन डिविजन), मोकामा, नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योगों, अर्थात् धातुकार्मिक और परिवहन उद्योगों में लगा है ;

और यत: जिस कम्पनी के स्वामित्व में उक्त औद्योगिक उपक्रम, अर्थात् ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, लिमिटेड है उसका कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की राय यह है कि साधारण लोक हितों में, और विशिष्ट रूप से, सम्बद्ध अनुसूचित उद्योग से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के हितों में उक्त औद्योगिक उपक्रम को फिर से चालू किए जाने की संभावना में अन्वेषण करना आवश्यक है ।

और यत: केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किए गए आवेदन पर, जिसमें ऐसी संभावना के बारे में अन्वेषण करने की अनुज्ञा के लिए प्रार्थना की गई है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनुज्ञा दे दी है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम को फिर से चालू किए जाने की संभावना के बारे में अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

अध्यक्ष

(1) श्री ए० एफ० कोटो,
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार ।

सदस्य

(2) श्री आर० एन० दास ।
जिला मजिस्ट्रेट,
पटना ।

(3) श्री आर० एन० चौधरी,
औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी),
बिहार सरकार ।

(4) श्री एम० के० मण्डल,
प्रबन्धक (तकनीकी)
भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम,
कलकत्ता ।

2. उपर्युक्त निकाय इस आदेश के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[सं० फा० 4/2/73—सीयू सी]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973